संख्याः 209 /XVII(4)/2012/129/06टी0सी0

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास **अनुभाग** **देहरादून दिनांकः29 मार्च, 2012**

विषयः— **विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से दिनांक 16 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2012 तक के लिये अतिरिक्त पोषाहार क्रय करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1342/ XVII(4)/2011/ 129/06 टी0 सी0 दिनांक 28—6—2011, शासनादेश संख्या 2272/XVII(4)/2011/129/06टी0सी0 दिनांक 14—10—2011 एवं शासनादेश संख्या 2562/XVII(4)/2011/129/06टी0सी0 दिनांक 24—12—2011 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या 2424—26/डब्लू0एफ0पी0—एम0ओ0यू0 —1848—बी0/2011—12, दिनांक 17—1—2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल दिनांक 1—10—2010 को सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लू0एफ0पी0) के मध्य हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 जो कि 04 माह के लिये था तथा पुनः उक्त शासनादेश दिनांक 28—6—2011 द्वारा एम0ओ0यू0 की अवधि दिनांक 15—7—2011 तक, शासनादेश दिनांक 14—10—2011 द्वारा दिनांक 30—10—2011 तक की अवधि तथा शासनादेश दिनांक 24—12—2011 द्वारा दिनांक 15—1—2012 तक की अवधि के लिये बढ़ायी गयी थी, की अवधि दिनांक 31—3—2012 तक बढ़ाने जाने एवं इस अवधि के लिये अतिरिक्त 5200 मी0टन इण्डियामिक्स पोषाहार के लिये धनराशि रू0 7,28,00,000/— डब्लू0एफ0पी0 को तथा अतिरिक्त पोषाहार के निर्माण (5200 मी0टन) हेतु 4290 मी0टन अतिरिक्त बी0पी0एल0 गेहूं भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) से प्राप्त करने हेतु एफ0सी0आई0 नई दिल्ली को रू0 1,78,03,500/— का भुगतान करने अर्थात संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 9,06,03,500/— (रू0 नौ करोड़ छः लाख तीन हजार पांच सौ मात्र) के व्यय/भुगतान किये जाने की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2. पूर्व हस्ताक्षरित अनुबन्ध को विस्तारित करने से पूर्व विश्व खाद्य कार्यक्रम को पूर्व में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष पोषाहार के पूर्व निर्धारित संगठन में किये गये परिवर्तन के फलस्वरूप बची हुई धनराशि का पूर्ण विवरण प्राप्त कर लिया जायेगा तथा उक्त अवशेष धनराशि के विस्तारित अनुबन्ध अवधि के लिये वास्तविक आवश्यकता के अनुसार होने की पुष्टि कर ली जायेगी। उक्त के आवश्यकता से अधिक होने पर शेष धनराशि विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त करते हुए राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पोषाहार आपूर्ति के लिये दिनांक 31—3—2012 तक प्रत्येक दशा में अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही यथा आवश्यकता नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

4. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोडी जाय।

5. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों / नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

7– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या– 457 (P) / XXVII(3)/2011-12 दिनाँक 29–3–2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्याः (1) / XVII(4)/2012 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री / मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
8. परियोजना निदेशक, डबलू0एफ0पी0, उत्तराखण्ड कार्यालय देहरादून।
9. वित्त विभाग / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या /XVII(4)/2012/तद्दिनांक का संलग्नक

(धनराशि रू0 में)

क्र स	अनु0 स0	लेखाशीर्षक	डबलू0एफ0पी0 को 5200 मी0 टन पोषाहार हेतु देय धनराशि	4290 मी0टन बी0पी0एल0 गेहू हेतु एफ0सी0आई0 को देय धनराशि	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	15	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02–समाज कल्याण 102– बाल कल्याण 03– परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित बाल विकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था 0303–पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था 31– सामग्री और सम्पूर्ति	57512000	14064765	71576765
2	30	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02–समाज कल्याण 102– बाल कल्याण 02– अनु0 जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 0202–समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार (राज्य योजना) 31– सामग्री और सम्पूर्ति	13104000	3204630	16308630
3	31	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02–समाज कल्याण 796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना 01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं 0102–पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (राज्य योजना) 31– सामग्री और सम्पूर्ति	2184000	534105	2718105
		योग अनुदान संख्या (15,30,31)	72800000	17803500	90603500

कुल धनराशि रू0 (रू0 नौ करोड़ छः लाख, तीन हजार पांच सौ मात्र)

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव
कार्मिक, महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन